

कितना सटीक, कहां चूक :

केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण

(संक्षिप्त संस्करण)

Union Budget 2018-19		
Ministries	In Rs. '000 crore	
	2017-18 BE	2018-19 BE
AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE	51	...
RURAL DEVELOPMENT	108	...
CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	154	...
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	80	...
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	8	...
HEALTH AND FAMILY WELFARE	50	...
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT	22	...
TRIBAL AFFAIRS	5	...
DRINKING WATER AND SANITATION	20	...
MINORITY AFFAIRS	4	...
URBAN DEVELOPMENT	34	...
ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	65	...
DEFENCE	360	...

कितना सटीक, कहां चूक :
केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण
(संक्षिप्त संस्करण)

कितना सटीक, कहां चूक: केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण

(संक्षिप्त संस्करण)

संदर्भ

2018-19 का केन्द्रीय बजट इस सरकार का अंतिम पूर्ण-वर्षीय बजट है। वर्ष 2014 के आम चुनाव में रोजगार, महंगाई, किसानों की बदहाली, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने घोषणापत्र में इस सरकार ने प्रधानता दी थी और भारी जनमत से चुनकर सत्ता में आई थी। आप लोग इस वर्ष के बजट को इन मुद्दों के संदर्भ में देखेंगे।

सत्ता संभालते ही सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की सिफारशों को स्वीकार कर संघीय राजकोषीय ढांचे को मजबूत करने की उम्मीदें जगाईं। यह उम्मीद की जा रही थी कि इन नीतिगत बदलावों से आर्थिक व विकास के संकेतकों में सुधार आएगा। वहीं दूसरी ओर सरकार के दो बड़े कदम - विमुद्रीकरण व जल्दबाजी में लागू किया गया जीएसटी - बहुत विवादास्पद रहे हैं और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर वाद-विवाद जारी है।

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए यह बताया गया है कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा युवाओं के लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण की इस टिप्पणी के अनुरूप ही अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कृषि व ग्रामीण विकास, रोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि तथा भूमिहीन परिवारों के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर आदि मुद्दों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही, सहयोगी संघवाद की धारणा के अनुरूप राज्यों के साथ मिलकर अधिक बजटीय संसाधन जुटाने पर बल दिया।

इस संदर्भ में यह रिपोर्ट, 'कितना सटीक, कहां चूक: केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण' समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट के प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस विश्लेषण में कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेयजल, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि सामाजिक वर्गों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों जैसे जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कर-प्रणाली एवं वित्तीय पारदर्शिता पर चर्चा की गई है। जी.एस.टी. कर प्रणाली सरकार के राजस्व उगाही की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। इस बजट विश्लेषण अंक में जी.एस.टी. कर प्रणाली

की संभावनाओं एवं सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी शामिल की गई है। लेकिन हम सबसे पहले देश के मुख्य आर्थिक एवं राजकोषीय सूचकों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।



1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक

तालिका 1.1

कुल बजट खर्च (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	केन्द्रीय बजट का कुल खर्च (रुपए करोड़ में)	मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (रुपए करोड़ में)	कुल केन्द्रीय बजट खर्च सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में (%)
2012-13 (वा)	14,10,372	99,44,013	14.18
2013-14 (वा)	15,59,447	1,12,33,522	13.88
2014-15 (वा)	16,63,673	1,24,45,128	13.37
2015-16 (वा)	17,90,783	1,36,82,035	13.09
2016-17 (वा)	19,75,194	1,51,83,709	13.01
2017-18 (बी.ई.)	21,46,735	1,67,84,679	12.79
2017-18 (आर.ई.)	22,17,750	1,67,84,679	13.21
2018-19 (बी.ई.)	24,42,213	1,87,22,302	13.04
	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त एकत्रित धनराशि, को लोक खाते के एक अक्षय कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह रकम संचित निधि का भाग नहीं है। अतः इस राशि को 2017-18 (सं.अ.) एवं 2018-19 (ब.अ.) में शामिल नहीं किया गया है।		
2017-18 (आर.ई.)	2156419	16784679	12.85
2018-19 (बी.ई.)	2352213	18722302	12.56
<p>नोट वा.-वास्तविक, बी.ई.-बजट अनुमान, आर.ई.-संशोधित अनुमान सं.अ. - संशोधित अनुमान ब.अ. - बजट अनुमान</p>			

स्रोत - केन्द्रीय बजट 2018-19 के दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय बजट पिछले कुछ वर्षों में लगातार

घटता जा रहा है - 2014-15 में 13.37% के स्तर से गिरकर 2018-19 में 12.56% तक (ब.अ.) सिमट गया। यह कुछ हद तक 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कारण है, जिसकी वजह से केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा वर्ष 2015-16 से बढ़ा दिया गया था।

- केन्द्रीय बजट की राशि वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान में 21.56 लाख करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में बढ़कर 23.52 लाख करोड़ रुपए हो गई। हालांकि यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 2 वर्षों में हुई आर्थिक संवृद्धि से कम है। अतः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल केन्द्रीय बजट के खर्च में गिरावट नजर आती है। यह वर्ष 2017-18 में 12.85 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) था जो से वर्ष 2018-19 में गिरकर 12.56% रह गया।

तालिका 1.2 केन्द्रीय बजट के मुख्य संकेतक (करोड़ रुपए)

मद	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)♦	2018-19 (बी.ई.)♦
1. राजस्व प्राप्तियाँ (जिनमें से)	11,95,025	13,74,203	15,15,771	14,44,097	16,35,738
क) कर राजस्व (केंद्र का हिस्सा)	9,43,765	11,01,372	12,27,014	12,69,454	14,80,649
ख) गैर कर राजस्व	2,51,260	2,72,831	2,88,757	2,35,974	2,45,089
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ (जिसमें से)	5,95,758	6,00,991	6,30,964	7,12,322	7,16,475
क) कर्ज व अन्य उगाही	5,32,791	5,35,618	5,46,531	5,94,849	6,24,276
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	17,90,783	19,75,194	21,46,735	21,56,419	23,52,213
4. कुल केन्द्रीय बजट खर्च	17,90,783	19,75,194	21,46,735	21,56,419	23,52,213
5. राजकोषीय घाटा	5,32,791	5,35,618	5,46,531	5,94,849	6,24,276
6. राजकोषीय घाटा (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	3.89	3.53	3.26	3.54	3.33

नोट ♦ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त एकत्रित धनराशि, को लोक खाते के एक अक्षय कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह रकम संचित निधि का भाग नहीं है। अतः इस राशि को 2017-18 (सं.अ.) एवं 2018-19 (ब.अ.) में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत - केन्द्रीय बजट 2018-19 के दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित

- केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है, और यह कमी बजट खर्च में प्रतिबन्धित भी होती है, जबकि राजस्व प्राप्ति जीडीपी के 8.71% के आसपास स्थिर रही है।

तालिका 1.3

राज्यों को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण (करोड़ रुपए)

	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
1. केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	5,06,193	6,08,000	6,74,565	6,73,005	7,88,093
2. वित्त आयोग के अनुदान (ग्राण्ट) (जिसमें से)	84,579	95,550	1,03,101	1,01,490	1,09,373
ए) ग्रामीण निकायों को अनुदान	19,993	31,370	39,041	39,041	45,069
बी) शहरी निकायों को अनुदान	6,924	14,498	17,247	17,247	19,870
सी) एस.डी.आर.एफ. के अनुदान	8,756	8,375	10,993	9,383	9,852
डी) हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटे के लिए अनुदान	48,905	41,307	35,820	35,819	34,582
3. केन्द्रीय स्कीमों संबंधित अनुदान	1,95,051	2,28,957	2,12,466	2,96,724	3,10,987
4. अन्य हस्तांतरण	43,143	48,054	48,447	39,386	54,482
5. विधायिका वाले केन्द्रीय क्षेत्रों को अनुदान	5,139	5,113	3,996	5,272	6,500
6. राज्यों व संघ क्षेत्रों को संसाधनों का कुल हस्तांतरण (1+2+2+4+5)	8,34,483	9,85,674	10,85,075	11,15,877	12,69,435
7. केन्द्रीय स्तर पर कुल सकल राजस्व प्राप्ति (राज्यों को करों के हस्तांतरण से पूर्व)	17,06,908	19,88,653	22,00,337	20,59,431	23,36,330
8. केन्द्रीय स्तर पर सकल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों व केन्द्रीय क्षेत्रों को कुल संसाधनों का ट्रान्सफर (आंकड़े % में)	48.89	49.56	49.31	54.18	54.33
9. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों व संघीय क्षेत्रों को संसाधनों का हस्तांतरण (%)	6.10	6.49	6.46	6.65	6.78

स्रोत : सीबीजीए द्वारा संकलित

- 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों की अवधि के पहले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2017-18 (आर. ई.) व 2018-19 (बी.ई.) में 'राज्यों व केन्द्रीय क्षेत्रों को संसाधनों के कुल ट्रान्सफर' के संदर्भ में जो वृद्धि नजर आती है, वह जीएसटी आरंभ होने के दौर में राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के प्रावधान के कारण नजर आती है।

तालिका 1.4

केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों का बजट (करोड़ रुपए)

क्रम मंत्रालय/विभाग	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
1. संस्कृति मंत्रालय	2,064	2,007	2,297	2,738	2,667	2,843
2. पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय	12,091	11,081	16,476	20,011	24,011	22,357
3. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष सहित)	32,154	35,190	40,241	50,281	54,852	56,226
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	68,875	67,239	72,016	79,686	81,869	85,010
5. श्रम व रोजगार मंत्रालय	4,138	4,642	4,743	7,188	6,581	7,700
6. अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	3,089	3,655	2,832	4,195	4,195	4,700
7. सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय	5,784	6,308	7,289	7,763	7,863	8,820
8. आदिवासी मामलों का मंत्रालय	3,852	4,480	4,817	5,329	5,329	6,000
9. आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय	15,982	20,180	36,946	40,618	40,754	41,765
10. महिला व बाल विकास मंत्रालय	18,539	17,249	16,874	22,095	21,237	24,700
11. युवा मामले व खेल मंत्रालय	1,121	1,423	1,574	1,943	1,938	2,196
12. कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय	31,917	22,092	44,500	51,026	50,264	57,600
13. पर्यावरण मंत्रालय, वन व जलवायु परिवर्तन	1,599	1,521	2,278	2,675	2,675	2,675
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय	69,817	78,945	96,728	1,07,758	1,10,874	1,14,915
15. उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण (खाद्य सबसिडी सहित) का मंत्रालय	1,18,323	1,40,810	1,22,399	1,54,232	1,49,608	1,75,944
16. कुछ मंत्रालयों का कुल खर्च (1 से 15)	3,89,346	4,16,822	4,72,009	5,57,540	5,64,718	6,13,453
17. सड़क परिवहन व राजपथ मंत्रालय	33,048	46,913	52,232	64,900	61,000	71,000
18. रक्षा मंत्रालय	2,85,005	2,93,920	3,51,550	3,59,854	3,74,004	4,04,365
कुल केन्द्रीय बजट	16,63,673	17,90,783	19,75,194	21,46,735	21,56,419	23,52,213
15 मंत्रालयों (1 से 15) का कुल खर्च, केन्द्रीय बजट के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में (%)	23.4	23.3	23.9	26.0	26.2	26.1

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

- पहले की ही तरह सड़क परिवहन व राजपथ मंत्रालय को इस बजट में उच्च प्राथमिकता दी गई है

- इसका बजट वर्ष 2014-15 में 33048 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 71000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 में 69817 करोड़ रुपए से बढ़ कर वर्ष 2018-19 (बजट अनुमान) में 114915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले दो वर्षों में मंत्रालय का बजट लगभग स्थिर रहा है।
- यदि हम इन 15 मंत्रालयों को विस्तृत सामाजिक क्षेत्र के रूप में देखें तो कुल केन्द्रीय बजट में इनका हिस्सा वर्ष 2017-18 (आर.ई.) में 26% था और यह इस वर्ष भी 26% पर स्थिर है।



2. कृषि

कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन की वजह से हमारे किसान संकट में हैं तथा देश को खाद्य पदार्थों की महँगाई से जूझना पड़ रहा है। महँगाई व कृषि क्षेत्र के संकट से असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्ष 2016-17 में भारत में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन (27.5 करोड़ टन) के बावजूद किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। किसानों की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में कितना खर्च किया गया है। साथ ही, एक महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये बजटीय आवंटन किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने के सरकार के वायदे को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

वर्ष 2018-19 के बजट-अनुमान में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कुल 57600 करोड़ रुपए का आवंटन है जबकि यह वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 44500 करोड़ रुपए था। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन व मत्स्य विभाग के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर 13100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिसमें से अधिकतर वृद्धि प्रधानमंत्री फसल बीमा, बागवानी के राष्ट्रीय मिशन, श्वेत क्रान्ति व नीली क्रान्ति की स्कीमों के अंतर्गत हुई हैं।

बागवानी के राष्ट्रीय मिशन को 2356 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। यह पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 300 करोड़ रुपए अधिक है। इससे बागवानी की फसलों में संवृद्धि की उम्मीद है। 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन को ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर आरंभ करना व कृषक संगठनों को कर की छूट देना भी स्वागत योग्य कदम हैं। पशुपालकों व मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना भी सकारात्मक पहल है जिससे उन्हें पूंजी की उगाही में सहायता मिलेगी।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिकांश रबी व खरीफ फसलों के संदर्भ में उत्पादन लागत से डेढ़ गुणा करने का आश्वासन दिया गया है। बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने मात्र से किसानों की आय सुनिश्चित नहीं होगी। अतः नीति आयोग को केन्द्रीय व राज्य सरकारों के परस्पर सहयोग से कुछ अन्य उपायों पर विचार करने के लिए कहा गया है। इस बजट में किसानों की आय को दुगुना करने के आवश्यक उपायों एवं पर्याप्त आवंटनों के संदर्भ में बजट भाषण में लीपा-पोती के अलावा कुछ भी ठोस पहल नहीं है।

इस वर्ष के बजट में छोटे व सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए व उन्हें मजबूरी में सस्ते दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाने के लिए एक कृषि-बाजार ढांचा कोष की स्थापना की बात की गई है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इस कोष से 22000 ग्रामीण कृषि

बाजारों को विकसित किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी क्योंकि वे व्यापारियों द्वारा नियंत्रित बिचौलियों के दखल के बिना अपनी फसल सीधा खरीददारों को बेच सकेंगे।

देश की दो तिहाई से अधिक कृषि भूमि पर शुष्क या वर्षा-आधारित खेती होती है। जलवायु परिवर्तन के दौर में वर्षा की बढ़ती अनिश्चिता की वजह से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सिंचाई का महत्व और बढ़ गया है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भूजल सिंचाई स्कीम, “हर खेत को पानी” के लिए इस बजट में 2,660 करोड़ रुपए का आवंटन है, जबकि 2017-18 के बजट अनुमान में यह 1,450 करोड़ रुपए था। सिंचाई से वंचित 96 जिलों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ए आई बी पी) से संबंधित 4-8 परियोजनाओं को दिसम्बर 2019 तक पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और यह रकम दीर्घकालीन कोष में जमा की जाएगी। इस कोष से, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत 17.2 लाख हैक्टेयर व 15 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने वाली परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिंचाई, मत्स्य व पशुपालन क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन कोष की घोषणा से इन क्षेत्रों को जरूरी प्रोत्साहन मिल सकता है, पर फसल की बर्बादी व विमुद्रीकरण के तनाव को झेल रहे किसानों को राहत देने की कोई स्पष्ट योजना इस बजट से नदारद है।

बजट भाषण में मत्स्य व एक्वाकल्चर ढांचागत विकास कोष व पशुपालन विकास ढांचागत कोष को 10,000 करोड़ रुपए के कारपस से स्थापित करने की बात की गई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट आवंटन नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट पिछले बजट की तुलना में कम होकर 1150 करोड़ रुपए रह गया है क्योंकि केन्द्र सरकार इस मद पर खर्च का केवल 60% हिस्सा वहन करती है जबकि 2014-15 तक इस कार्यक्रम का पूरा खर्च केन्द्र सरकार किया करती थी।

छोटे व सीमान्त किसानों के लिए कोई विशिष्ट स्कीमें नहीं हैं जबकि वे देश के कुल किसानों का 86 प्रतिशत हैं व उनके पास बाजार अधिशेष कम होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उन्हें कम मिलता है। यह उम्मीद की जा रही थी बजट किसानों के लिए विशेष पैकेज लाएगा और किसानों की आय के लिए आयोग का गठन होगा। सामाजिक सुरक्षा किसानों का एक मुख्य सरोकार है, और उनके लिए किसी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम की घोषणा न करने से उनकी आजीविका की अवहेलना का अहसास होता है। वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय सरकार के बजट से कृषि क्षेत्र के लिए बहुत उम्मीदें थीं, ताकि किसानों को कृषि संकट की मार से उबारा जा सके। बजट भाषण में ग्रामीण विकास उन्मुखी बजट का ढिंढोरा पीटा गया लेकिन बजटीय आवंटनों में किसानों, खासकर छोटे एवं सीमांत किसानों को तरजीह नहीं दी गई।

तालिका 2.1

केन्द्रीय बजट आवंटन - कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय (करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग	25,255	28,296	36,912	41,855	41,105	46,700
पशुपालन, दुग्ध उत्पादन व मत्स्य विभाग	1,822	1,410	1,858	2,371	2,167	3,100
कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग	4,840	5,386	5,729	6,800	6,992	7,800
कृषि मंत्रालय में (व्याज सबवैन्शन सहित) कुल खर्च	31,917	35,092	44,500	51,026	50,264	57,600

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित



3. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट में मामूली सी वृद्धि आई है। हालांकि, इसे केन्द्रीय बजट के हिस्से के रूप में देखें तो वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में इस वर्ष के बजट में गिरावट आई है - यह 5.1 प्रतिशत से गिरकर 4.8 प्रतिशत पर सिमट गया है।

तालिका 3.1

ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट आवंटन (करोड़ रुपए)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटन	कुल बजट खर्च	कुल केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास विभाग के बजट का प्रतिशत हिस्सा
2014.15 (वास्तविक)	67,311	16,63,673	4.0
2015.16 (वास्तविक)	77,369	17,90,783	4.3
2016.17 (वास्तविक)	95,069	19,75,194	4.8
2017.18 (आर.ई.)	1,09,042	21,56,419♦	5.1
2018.19 (बी.ई.)	1,12,404	23,52,213♦	4.8

नोट ♦ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त एकत्रित धनराशि, को लोक खाते के एक अक्षय कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह रकम संचित निधि का भाग नहीं है। अतः इस राशि को 2017-18 (सं.अ.) एवं 2018-19 (ब.अ.) में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित।

पिछले वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के बजट की मुख्य घोषणाओं में एक था - 'मिशन अंत्योदय'। इसका उद्देश्य वर्ष 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी-मुक्त करना है। ये महज़ घोषणाएँ हैं और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के लिए कोई बजट आवंटन नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का संशोधित स्वरूप मार्च 2016 में प्रस्तुत किया गया। इसके लिए मार्च 2019 तक 1 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य का मात्र 25% प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018-19 में इस योजना का बजट आवंटन 9 प्रतिशत कम हुआ है।

इस बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए आवंटन 55,000 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष के आवंटन के बराबर है। यह इसके बावजूद किया गया है कि

पिछले कुछ वर्षों से मनरेगा की वर्ष समाप्ति पिछले वर्ष की देनदारियों के साथ होती है। फिर वित्तीय वर्ष आगे बढ़ता है तो धन उपलब्धि कम होती है व मजदूरी के भुगतान में और देर होती है। ग्रामीण विकास ढांचे के लिए भी भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जैसे आंगनवाड़ी केन्द्रों व ग्रामीण सड़कों के। यहां यह बताना जरूरी है कि मनरेगा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाली प्रक्रियाओं की परिकल्पना करता है जिसमें केवल ग्राम सभा को इसके अंतर्गत होने वाले कार्यों की मात्रा व प्रकार संबंधी निर्णय लेने की वैधानिक शक्ति है। यह उम्मीद है कि पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी अनुपूरक अनुदानों के द्वारा अतिरिक्त आवंटन भी किए जाएंगे।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बजट में 5% की वृद्धि हुई है, इसका अर्थ है कि कार्यक्रम की कवरेज में या मासिक पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के संशोधित बजट (आर.ई.) की तुलना में 32 प्रतिशत वृद्धि है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले वर्ष के आर.ई. की अपेक्षा 12 प्रतिशत की वृद्धि है व कुल मिलाकर 5,750 करोड़ रुपए की वृद्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का बजट वर्ष 2017-18 (सं.अ.) की राशि 23,000 करोड़ रुपए कम करके इस वर्ष 21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

तालिका 3.2

ग्रामीण विकास विभाग की मुख्य योजनाओं के लिए बजट आवंटन (करोड़ रुपए)

ग्रामीण विकास विभाग की मुख्य स्कीमें	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 आर.ई.	2018-19 बी.ई.	% बदलाव	ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट का %
मनरेगा	32969	37341	48215	55000	55000	0	49
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1413	2514	3158	4350	5750	32	5
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रा.	11105	10116	16071	23000	21000	-9	19
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	5868	18290	17923	16900	19000	12	17

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित।



4. रोजगार चुनौतियां व बजट के प्रावधान

भारत में प्रति वर्ष 150 लाख युवा देश की श्रम-बल में शामिल हो जाते हैं तथा इन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं ग्रामीण आजीविका मिशन पर खर्च में मामूली वृद्धि के अलावे इस बजट में रोजगार सृजन के अन्य मदों पर खर्च या तो स्थिर रखा गया है अथवा कम कर दिया गया है। स्वरोजगार को कर्ज आधारित उद्यम के मॉडल के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। प्रत्यक्ष रूप के स्व-रोजगार कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी आजीविका मिशनों के बजट आवंटन में बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। इसकी विस्तृत जानकारी तालिका 4.1 में नीचे है।

बजट में मनरेगा के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसे पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में बढ़ाया नहीं गया है। मनरेगा के अन्तर्गत मुख्यतः निर्माण रोजगार की कार्यवाहियां हैं। ये केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कृषि सिंचाई योजना से संबंधित हैं।

तालिका 4.1

रोजगार उत्पन्न / प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों के लिए बजट का आवंटन (करोड़ रुपए)

कार्यक्रम	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 आर.ई	2018-19 बी.ई
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (कर्ज-आधारित कार्यक्रम)	1,429	1,935	4,040	2,556
2. उद्यम व कौशल विकास	200	181	153	340
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	991	1522	2303	3273
4. रोजगार व कौशल विकास (इसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शामिल है)	63	295	602	1798
5. मनरेगा	37,341	48,215	55,000	55,000
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2,514	3,158	4,350	5,750
7. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	269	329	349	310
8. कुल आवंटन	42,807	55,635	66,797	69,027
चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी	1,36,82,035	1,51,83,709	1,67,84,679	1,87,22,302
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल आवंटन (%)	0.31	0.37	0.40	0.37

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

मामूली छूट देकर रोजगारों को औपचारिक बनाने पर भी जोर दिया गया है जैसे कि रोजगारियों के प्रोविडेंट फंड संस्थानों के माध्यम से दिए गए प्रोत्साहन। खाद्य प्रसंस्करण, जूता, चमड़ा उद्योगों के

मजदूरों के निश्चित अवधि रोजगार में विस्तार आदि। महिला मजदूरों को भी रोजगारियों के प्रोवीडेंट फंड में उनके योगदान को 8% तक कम कर प्रोत्साहित किया गया, ताकि उनकी घर ले जाने वाली आय बढ़ जाए। पर इस सब को रोजगार सृजन नहीं कहा जा सकता चाहे इससे पहले का रोजगार नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार जैसा प्रतीत हो।

जब हम यह ध्यान से रखते हैं कि इस वर्ष कुल बजट मात्र 10 प्रतिशत बढ़ा जबकि जीडीपी 11 प्रतिशत बढ़ी तो स्पष्ट होता है कि गैर-कृषि क्षेत्र को नवचेतन करने के लिए व अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करने के लिए श्रम-सघन घरेलू व निर्यात उद्योगों को सार्वजनिक निवेश के माध्यम से प्रोत्साहित करने की जरूरत थी, पर यह जरूरत बजट के प्रावधानों में पूरी नहीं होती है।



5. सामाजिक सुरक्षा

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की अनेक योजनाएँ हैं। असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्य योजनाओं का कुल आवंटन वर्ष 2017-18 (बी.ई.) में 11245 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 (बी.ई.) में 12478 करोड़ रुपए हो गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो यह 0.07 प्रतिशत है जबकि केन्द्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में यह 0.53 प्रतिशत है।

असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजनाएँ अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों में बंटी हुई हैं जैसे कि श्रम व रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय व वित्त मंत्रालय। विभिन्न योजनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकतर आवंटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए बजट को इस वर्ष पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 5% बढ़ाया गया है। आम आदमी बीमा योजना के लिए आवंटन नगण्य है। स्वावलंबन योजना का जिक्र तक इस बजट में नहीं किया है।

तालिका 5.1

सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

मंत्रालय	स्कीम	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 बी.ई.	2017-18 आर.ई.	2018-19 बी.ई.
श्रम व रोजगार	असंगठित क्षेत्र के लिए मजदूरों के राष्ट्रीय प्लेटफार्म और आधार सीडिड पहचान संख्या	-	45.3	0.05	100.0	0.35	50.00
	असंगठित मजदूरों के लिए बीमा योजना	-	-	-	-	-	50.00
	आर.एस.बी.वाई.♦	550.7	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य व श्रम कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा स्कीम/आर.एस.बी.वाई.♦	-	-	465.6	1,000.0	470.5	2,000
ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	7,086.7	8,616.4	8,854.07	9,500.0	8,744.6	9,975.0
वित्त (वित्त सेवाएँ विभाग)	स्वावलंबन स्कीम	195.0	250.6	-	50.0	58.50	-
	आम आदमी बीमा योजना♦♦	175.0	437.5	100.0	350.0	-	-
	अटल पेंशन योजना	-	173.0	36.0	155.0	170.0	155.0
वित्त (वित्त सेवाएँ विभाग)	वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना पर एल.आई.सी. को व्याज सबसिडी	111.2	101.8	125.1	250.0	245.2	228.2
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार व जागरुकता)	-	-	4.99	20.0	20.0	20.0
कुल		8,119	9,625	9,586	11,425	9,709	12,478

नोट - ♦ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) पहले श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन थी। वर्ष 2016-17 में

इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आर.एस.एस.वाई) किया गया व इसे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन किया गया। 2016-17 व 2017-18 (बजट अनुमान) में आर.एस.एस. वार्ड के लिए कोई आवंटन नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा स्कीम, जिसका ऐसा ही उद्देश्य व कार्यक्षेत्र था, की घोषणा वर्ष 2016-17 में की गई। वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट में आर.एस.बी.वाई को फिर से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रवेश दिया गया है। इस तरह हाल के वर्षों में असंगठित मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए किए गए आवंटन विभिन्न नामों की स्कीमों में दर्ज होते रहे हैं।

- ◆◆ आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2017-18 तक वित्त सेवाएं विभाग के अधीन रही। इसके बाद इसे श्रम व रोजगार विभाग में भेजा गया व इसका नाम असंगठित मजदूरों की बीमा योजना रखा गया। इस योजना के आवंटन श्रम व रोजगार विभाग की अनुदानों की मांगों से दर्ज किए गए हैं।

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में सबसे मुख्य हिस्सा एन.एस.ए.पी. का है। अतः इसके विभिन्न भागों का विश्लेषण जरूरी है। इस कार्यक्रम के विभिन्न भागों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का आवंटन सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत प्रतिमाह 200 रुपए की पेंशन दी जाती है। यह एक प्रमुख स्कीम है जिसका आवंटन 400 करोड़ रुपए बढ़ा है, पर इसकी कवरेज एक बड़ी चुनौती है। इस समय इसकी कवरेज 3.2 करोड़ व्यक्तियों तक सीमित है। वर्ष 2013 में सीबीजीए के अध्ययन से पता चला कि विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बहुत भिन्नता थी जो 200 रुपए व 2000 रुपए के बीच थी। एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत मासिक पेंशन राशि को बढ़ाना व इसके कवरेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि समाज के कमजोर तबकों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।




6. शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के लिए नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय का वर्ष 2018-19 का बजट (बी.ई.) में 85,010 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष के आवंटन से यह 7 प्रतिशत अधिक है। यदि इस मंत्रालय के बजट को कुल सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में देखें तो वर्ष 2017-18 (बी.ई.) में यह 3.7 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में यह 3.6 प्रतिशत है।

फिगर 6.1

केन्द्र सरकार के बजट में शिक्षा पर खर्च (प्रतिशत)



इस वर्ष के बजट भाषण में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समुचित योग्यताओं वाले प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके लिए बजट ने अध्यापकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम की घोषणा की है। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए 550 करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष की तुलना (बी.ई.) में यह 70 करोड़ रुपए अधिक है।

बजट ने नर्सरी-पूर्व से 12 वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा व्यवस्था के समग्र विकास की घोषणा की है। साथ ही, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, व सेकेंड्री के विभाजन को समाप्त करने की बात की गई है। वर्ष 2017-18 (बी.ई.) व 2018-19 (बी.ई.) के लिए सर्वशिक्षा अभियान का बजट 23,500 करोड़ रुपए एवं 26,129 करोड़ रुपए है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट क्रमशः 3,830 करोड़ रुपए तथा 4,213 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में उच्च शिक्षा विभाग का बजट 35,010 करोड़ रुपए है जो कि 2017-18 (बी.ई.) के आवंटन से 5 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट मात्र

100 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। शिक्षा कर्जों के गारंटी कोष हेतु सब्सिडी व योगदान की राशि 2017-18 में 1,950 करोड़ थी, इसे इस वर्ष बढ़ाकर 2,150 करोड़ रुपए किया गया है। इस बजट में 'वर्ष 2022 तक शिक्षा व्यवस्था व ढांचे की पुनर्शक्ति' नामक योजना की बात की गई है। इसके माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान व उसकी सुविधाओं व ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाना है। उच्च शिक्षा फाईनेंसिंग एजेंसी (हेफा) के अंतर्गत निवेश को 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,750 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

तालिका 6.1

स्कूल शिक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट का आवंटन (करोड़ रुपए)

योजना	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	29070	27066	27616	29556	29556	32613
सर्व शिक्षा अभियान	24097	21661	21685	23500	23500	26129
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3398	3563	3698	3830	3915	4213
मिड-डे मील	10523	9145	9475	10000	10000	10500
अध्यापक प्रशिक्षण व वयस्क शिक्षा	1158	916	817	926	841	871

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

बजट भाषण में प्रस्ताव किया गया है कि अब 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत 'स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर' लगाया जाए ताकि निर्धन व ग्रामीण परिवारों की शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।



7. स्वास्थ्य

नवीनतम तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार ब्रिक देशों में भारत का स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सबसे कम है। स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में नागरिकों निजी के खर्च का हिस्सा 63 प्रतिशत है जो कि विकासशील देशों में सबसे अधिक है। दूसरी ओर 15-49 की आयु वर्ग में अनेमिया से प्रभावित सबसे अधिक महिलाओं की संख्या भी भारत में ही है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी मानवीय संसाधनों की भारत में गंभीर कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी 80 प्रतिशत तक है। ढांचागत सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इस स्थिति में बजट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत है।

वर्तमान सरकार के अंतिम पूर्ण वर्षीय बजट में स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय (आयुष सहित) का बजट पिछले वर्ष के बजट अनुमान (बी.ई.) 50,281 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 56,226 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है जो कि 12 प्रतिशत की वृद्धि है। यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष के बजट अनुमान (बी.ई.) से न कर संशोधित अनुमान (आर.ई.) से करें तो यह वृद्धि 1,374 करोड़ रुपए की है अर्थात् मात्र 2.5 प्रतिशत की। केन्द्रीय बजट के स्वास्थ्य के लिए आवंटन जीडीपी के 0.3 प्रतिशत के आसपास स्थिर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का लक्ष्य है कि जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के बराबर सरकारों (केंद्र व राज्य) का स्वास्थ्य खर्च हो जिसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार का हो। इसका अर्थ है कि केंद्रीय खर्च से 1 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए प्राप्त हो व यदि वह हाल में 0.3 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा है तो इस लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करना होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2017-18 के आर.ई. की तुलना वर्ष 2018-19 के बी.ई. से करें तो 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। मातृ व बाल स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आवंटन 2017-18 के आर.ई. की तुलना में 2018-19 के बी.ई. में 33 प्रतिशत कम हुआ है। इसके साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (जिसे पहले मातृत्व लाभ स्कीम कहा जाता था) का आवंटन भी 2017-18 के आर.ई. की तुलना में 8 प्रतिशत कम हो गया है। मातृ एवं बाल विकास के संबंधित एमडीजी के लक्ष्य देश को वर्ष 2015 तक प्राप्त करने का संकल्प अब तक दूर की कौड़ी ही साबित हुआ है।

तालिका 7.1

स्वास्थ्य क्षेत्र, विभिन्न विभागों, मंत्रालयों/स्कीमों का बजट में आवंटन (करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग	30,626	33,121	37,671	51,551	52,800
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	911	993	1,324	1,743	1,800
आयुष मंत्रालय	617	1,075	1,246	1,558	1,626
कुल (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय + आयुष)	32,154	35,190	40,241	54,852	56,226
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	19,751	20,213	22,872	31,292	30,634

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में कमी को देखते हुए पहला उद्देश्य इस कमी को दूर करना व मूल सुविधाओं की व्यवस्था करना होना चाहिए था। महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ऑडिट (2011-12 से 2015-16) से विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य के ढांचे की गंभीर कमियां सामने आई हैं। हालांकि जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 24 नए मेडिकल कालेजों की स्थापना की घोषणा हुई है, इस उप-मद पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आवंटन वर्ष 2017-18 (आर.ई.) के 3300 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 2888 करोड़ रुपए तक कम हो गया है, यानि लगभग 12 प्रतिशत की कमी हुई है।

‘आयुष्मान भारत’ के अंतर्गत सरकार ने दो घोषणाएं की हैं। हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य व्यवस्थां सशक्त करने का हिस्सा हो सकता है क्योंकि इन हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अलग से कोई चर्चा नहीं है। वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में 1.5 लाख उप-केन्द्रों को हैल्थ व वेलनेस केन्द्र में अपग्रेड करने की घोषणा हुई थी पर अब तक केरल के अलावे तो देश में अन्यत्र ऐसे कोई केन्द्र स्थापित नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं सरकार ने निजी क्षेत्र से हैल्थ व वेलफेयर केन्द्र की स्थापना में योगदान आमंत्रित किया है जिससे मूल स्वास्थ्य सुविधाओं के निजीकरण का संकेत मिलता है।

आयुष्मान भारत का दूसरा महत्वपूर्ण कदम यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज है जहां कवरेज का अर्थ बीमा कवरेज से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एच.पी.एस) को विश्व का सबसे बड़ा सरकारी आर्थिक सहयोग से चलने वाला स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम बताते हुए निर्धन व कमजोर परिवारों के 50 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का कवर देने का लक्ष्य रखा गया है। पर बजट में एन.एच.पी.एस. के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है। बजट के दस्तावेज में मात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र है जिसके लिए वर्ष 2018-19 में 2050 करोड़ रुपए का आवंटन है। इस योजना पर वर्ष 2016-17 में 466 करोड़ रुपए का खर्च था। वर्ष 2017-18 के बजट में इसका संशोधित अनुमान (आर.ई.) 471 करोड़ रुपए था। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में अभी छः महीने का समय लगेगा व इसके वित्तीय भार का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा। एन.एच.पी.एस. बीमा मॉडल हो सकता है या ट्रस्ट मॉडल हो सकती है। इन वायदों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 4 प्रतिशत ‘शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर’ प्रस्तावित किया है जिससे 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन प्राप्त हो सकता है। पर 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर तो पहले से लगा हुआ है, अतः इस उपकर को कैसे बांटा जाएगा यह स्पष्ट नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान नीति दस्तावेजों व घोषणाओं में सरकार बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मॉडल की व निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका की पैरवी करती रही है। किन्तु राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखे (2014) से पता चला है कि भारत में स्वास्थ्य पर ‘आऊट ऑफ पॉकेट’ खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 63 प्रतिशत

है। इसका कारण है निजी स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं व जांच करवाने पर हुआ अधिक खर्च। विभिन्न राज्यों का अनुभव रहा है कि बीमा स्कीम के माध्यम से स्वास्थ्य पर निजी खर्च के बोझ को कम नहीं किया जा सका है।

अतः नए भारत 2022 की परिकल्पना तक पहुंचने के लिए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों पर पुनर्विचार जरूरी है। कुछ विकासशील देशों जैसे थाईलैंड व दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण हमारे सामने हैं जहां सब तक स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक स्तर पर पहुंचाने के अच्छे व सफल प्रयास हुए हैं। आयुष्मान भारत के निर्माण के लिए सरकार को स्वास्थ्य के निजीकरण व बीमा मॉडल के स्थान पर सब तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं कुशल चिकित्सकों से लैस सरकारी अस्पतालों का विस्तार करना चाहिए।



8. जल व स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण व शहरी - दोनों के लिए 2018-19 के बजट में कुल आवंटन 17843 करोड़ रुपए है जिसमें से 15343 करोड़ रुपए ग्रामीण पक्ष के लिए व 2,500 करोड़ रुपए शहरी पक्ष के लिए है। यह वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) 19,248 करोड़ रुपए से कम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्ष 2017-18 में आवंटन 7,050 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान (बी.ई.) में 7,000 करोड़ रह गया है। अमृत कार्यक्रम के लिए आवंटन वर्ष 2017-18 (आर ई) में 4998 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2018-19 (बी.ई.) में 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

कुल मिलाकर पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के बजट को देखें तो वर्ष 2017-18 (आर ई) की तुलना में वर्ष 2018-19 के बी.ई. में 7 प्रतिशत की कमी आई है।

तालिका 8.1

पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय में योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

योजना	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9,242.30	4,369.55	5,980	6,050	7,050	7,000
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	2,841	6,703.40	10,484	13,948.27	16,948.27	15,343.10
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	859.5	765.84	2,135	2,300	2,300	2,500

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

एक नई स्कीम, गोबर-धन (जैविक) बायो-एग्रो संसाधन के विकास की योजना आरंभ की गई है।

टिकाऊ विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) का लक्ष्य-6 पानी व स्वच्छता को टिकाऊ प्रबंधन के माध्यम से सब तक पहुंचाने से जुड़ा है व इसके लिए इस क्षेत्र में अधिक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। भारत ने एम.डी.जी. लक्ष्यों में पेयजल का लक्ष्य तो प्राप्त किया, पर स्वच्छता का क्षेत्र पिछड़ रहा है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय परामर्श (अगस्त 9, 2016) में पेयजल व स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्त करने का स्पष्ट मार्ग तय किया गया व इसके क्रियान्वयन के लिए फालो-अप प्रक्रियाएं जरूरी हैं।

पिछले दो वर्षों में सरकार ने स्वच्छ भारत उपकर से 16,400 करोड़ रुपए एकत्र किए जिसका उपयोग स्वच्छता स्कीमों में होना था, पर महालेखा परीक्षक ने बताया है कि इसमें से लगभग एक चौथाई धनराशि इस कार्य के लिए समर्पित कोष से बाहर हो रही। सभी सेवाओं पर यह 0.5 प्रतिशत उपकर लगने से एकत्र धनराशि का लेप्स न होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में ट्रान्सफर होना था, पर 4,000 करोड़

रूपे इसकी स्कीमों के बाहर ही रहे। ऐसा भविष्य में न हो व उपकरण का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो इसके लिए पारदर्शी व निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए।

इन लक्ष्यों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास व गंगा रक्षा मंत्रालय में समन्वय जरूरी है क्योंकि जल व स्वच्छता का स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है।

सरकार ने स्वच्छता व पेयजल के कार्यक्रमों के जेंडर पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया है, पर इन कार्यक्रमों ने अभी जेंडर संवेदनशीलता का बजट नहीं अपनाया है। इस कारण, महिलाओं के संदर्भ में हुए खर्च का पता नहीं चल पाता है। इस कमी को दूर कर जरूरी आंकड़े जेंडर बजट स्टेटमेंट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



9. पोषण व खाद्य सुरक्षा

2017-18 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी जिसमें आगामी तीन वर्षों में प्राप्त करने वाले लक्ष्य निर्धारित हुए। इस मिशन का लक्ष्य है कि 0-6 आयु वर्ग में कम वजन के बच्चों की संख्या अगले 3 वर्षों में 6 प्रतिशत कम किया जाए व वर्ष 2025 में इसे 25 प्रतिशत तक लाया जाए। एक अन्य लक्ष्य है कि 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में व 6 से 59 महीनों के बच्चों में अनेमिया 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस अवधि के दौरान कम किया जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के दौर में (वर्ष 2005-06 से 2015 के बीच के दशक) कम वजन के बच्चों की संख्या में मात्र 0.68 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ही कमी हो सकी। अतः, यदि 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की कमी की दर को प्राप्त करना है तो वर्तमान प्रयासों को दोगुना से भी अधिक करना होगा।

कुपोषण के अनेक कारण हैं व इसे दूर करने के लिए एक बहु-पक्षीय प्रयास की जरूरत है। कुछ पोषण-संबंधित विशिष्ट प्रयास हो सकते हैं जो भोजन उपलब्धि व बीमारियों से जुड़े हैं। इनसे स्टंटिंग (आयु से कम लंबाई) को 20 प्रतिशत तक रोक सकते हैं। इनमें महिलाओं व बच्चों (0-6 वर्ष) से संबंधित वे प्रयास हैं जो व्यवहार सुधार, सूक्ष्म पोषण सप्लीमेंट, सप्लीमेंटरी आहार, व अधिक गंभीर कुपोषण के इलाज से जुड़े हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं (आई.सी.डी.एस) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सबला व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऐसी 4 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ हैं जो इन सेवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं। पोषण जागरूकता के कार्यक्रम बेहतर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित पर्यावरण व हाईजीन से जुड़े हैं। यह भी अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से पहुंचाए जाते हैं। इन पोषण संबंधित योजनाओं पर किए गए खर्च से पोषण बजट बनता है।

वर्ष 2018-19 में पोषण कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन

वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) में 3,09,272 करोड़ रुपए का पोषण बजट था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान (बी.ई.) में यह 3,45,238 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, यानि 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पोषण के बजट में वृद्धि काफी हद तक खाद्य सप्लिमेंट में वृद्धि की है जो 29,041 करोड़ रुपए की है। दूसरी ओर सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बजट में कटौती भी हुई है। कटौती वाली योजनाएं हैं - स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कुल बजट खर्च में यदि हम पोषण बजट का हिस्सा देखें तो वर्ष 2017-18 के आर.ई. में यह 14.3 प्रतिशत था जबकि 2018-19 के बजट अनुमान में यह 14.

7 प्रतिशत था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पोषण बजट को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में 1.8 % के स्तर पर स्थिर है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2017 में पोषण स्कीमों के बारे में महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण पोषण योजनाओं के बजटीय आवंटन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2017 के आरंभ में मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जिसे बाद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम दिया गया, का विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया। इसके बाद नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय पोषण रणनीति की घोषणा की। आई.सी.डी.एस. में अतिरिक्त पूरक पोषण कार्यक्रम के खाद्यों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारित किए गए। इस वर्ष के अंत में राष्ट्रीय पोषण मिशन आरंभ किया गया।

वर्ष 2022 में पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये सकारात्मक कदम थे, पर इनके लिए पर्याप्त बजट समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरण के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए संशोधित लागतों के अनुसार इसे ठीक से चलाने के लिए इस वर्ष 25000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी पर पूरे आंगनवाड़ी कार्यक्रम का बजट मात्र 16335 करोड़ रुपए है। इसी तरह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए वर्ष 2018-19 के बजट (बी.ई.) में मात्र 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इसके लिए प्रति गर्भवती महिला 6000 रुपए की व्यवस्था थी जिसे 5000 रुपए कर दिया गया है। यह आवंटित राशि 51.7 लाख लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी इस योजना का लाभ गर्भवती व स्तनपान करवा रही महिलाओं में से मात्र एक चौथाई तक ही पहुंच पाता है।

पोषण बजट में वर्ष 2017-18 (आर.ई.) की तुलना में वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी में 20 प्रतिशत वृद्धि के कारण है। यह एक सराहनीय कदम है व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। इससे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार में वित्तीय सहायता मिलेगी। पोषण बजट का 49 प्रतिशत हिस्सा खाद्य सब्सिडी है। कृषि व पशुपालन की योजनाओं में भी 2600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के बजट में कमी आई है इस मद पर वर्ष 2017-18 (सं.अ.) में 19,428 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 (ब.अ.) में 17,483 करोड़ रुपए।

वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट में पोषण प्रयासों को कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिला है। इससे पहले भी पर्याप्त संसाधन न उपलब्ध होने के कारण पोषण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2022 के पोषण लक्ष्य भी पूरे नहीं हो सकेंगे।

नोट - पोषण बजट इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से मिलकर बनता है - कोर आई.सी.डी.एस. / आंगनवाड़ी सेवाएं, कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेश स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सबला, खाद्य सबसिडी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, टिकारु खेती का राष्ट्रीय मिशन, तिलहन व पॉम ऑयल का राष्ट्रीय मिशन, कृषि विकास योजना, श्वेत क्रान्ति, राष्ट्रीय पशु धन विकास योजना, नीली क्रान्ति - मत्स्य समन्वित विकास, राष्ट्रीय बागवानी मिशन।



10. महिलाएं

महिला व बाल विकास मंत्रालय का आवंटन

महिला व बाल विकास मंत्रालय का आवंटन वर्ष 2017-18 (बी.ई.) में 22,095 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में यह बढ़कर 24,700 करोड़ रुपए हो गया है। आई.सी.डी.एस. का आवंटन वर्ष 2018-19 में 19,335 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2017-18 (सं.अ.) में 16,195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 'महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन', जो अब 'महिला शक्ति केन्द्र' के अंतर्गत है, का बजट वर्ष 2018-19 में 267 करोड़ रुपए घोषित हुआ है। इस स्कीम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि वर्ष 2017-18 (आर. ई.) में तो इसके लिए मात्र 64 करोड़ रुपए का ही आवंटन था।

जहां कुछ कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ा है, वहीं इस मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का आवंटन कम भी हुआ है। स्वधार गृह के लिए आवंटन 2017-18 (बी.ई.) में 100 करोड़ रुपए था जो 2018-19 (बी. ई.) में 95 करोड़ रुपए हो गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2017-18 बी.ई. में आवंटन 2,700 करोड़ था जो 2018-19 बी.ई. में 2,400 करोड़ रुपए रह गया। इस स्कीम को अब पहले बच्चे तक सीमित कर दिया गया व महिलाओं को मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए से 5,000 रुपए कर दिया गया। इस तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों में कटौती की गई।

तालिका 10.1

महिला व बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का आवंटन (करोड़ रुपए)

	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
महिला व बाल विकास मंत्रालय का आवंटन	18,540	17,249	16,874	21,237	24,700
कुल केन्द्रीय बजट में महिला व बाल विकास मंत्रालय के बजट का प्रतिशत	1.11	0.96	0.85	0.96	1.01
कोर आईसीडीएम/आंगनवाड़ी सेवाएं	16,684	15,489	14,632	16,195	19,335
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (मातृत्व लाभ कार्यक्रम)	343	233	75	2,595	2,400
सबला	622	475	482	460	500
राष्ट्रीय क्रेश स्कीम	98	133	125	65	128
महिला शक्ति केन्द्र (महिलाओं के सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन) ♦♦	9	21	31	64	267
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	35	59	29	200	280
उज्ज्वल - ट्रैफिकिंग रोकने की समग्र स्कीम	13	20	20	35	50
एक स्टाप केंद्र ♦♦♦	0	10	40	90	105
महिलाओं की हेल्पलाईन ♦♦♦	0	15	1	10	29
अन्य स्कीमें ♦♦♦			192	400	359
स्वधार गृह	29	48	84	75	95

नोट जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त एकत्रित धनराशि, को लोक खाते के एक अक्षय कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह रकम संचित निधि का भाग नहीं है। अतः इस राशि को 2017-18 (सं.अ.) एवं 2018-19 (ब.अ.) में शामिल नहीं किया गया है।

-
- ◆◆ महिला शक्ति केन्द्र की नई स्कीम 2017-18 से 2019-20 के लिए आई है।
 - ◆◆◆ निर्भया कोष से प्राप्त

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

वर्ष 2018-19 की जेंडर बजट स्टेटमेंट का विश्लेषण

जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) में कुल आवंटन वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 1,21,961 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 (बी.ई.) में यह 1,13,311 करोड़ रुपए था यानि 8,650 करोड़ रुपए की वृद्धि। जीबीएस में इस बार 33 अनुदान मांगे शामिल हैं।

जीबीएस के भाग ए में वे योजनाएँ हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। इसके लिए बजट में आवंटन 29,038 करोड़ रुपए है जो 2017-18 बी.ई. की तुलना में 2,013 करोड़ रुपए कम है। यह कमी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में कमी के कारण आई है।

जीबीएस के बी भाग में वे स्कीमें हैं जिनमें 30 से 99 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए है। इनकी रिपोर्टिंग में कोई महत्वपूर्ण सुधार इस वर्ष नजर नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्टिंग विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अनुमानों के आधार पर दी जा रही है न किसी विश्वसनीय आकलन के अनुसार। इस तरह की रिपोर्टिंग से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विभिन्न विभाग विभिन्न क्षेत्रों की जेंडर संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठा रहे हैं और इनके लिए पर्याप्त बजट आवंटन की व्यवस्था हो रही है या नहीं।

निर्भया कोष का उपयोग

केन्द्रीय बजट 2013-14 से निर्भया कोष आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। वर्ष 2017-18 तक इस कोष का स्तर 3,100 करोड़ रुपए था। वर्ष 2018-19 में निर्भया कोष के लिए अतिरिक्त 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कोष के उपयोग के लिए विभिन्न मंत्रालयों व विभागों, राज्यों व केन्द्रीय क्षेत्रों से प्रस्ताव आते हैं। इनके मूल्यांकन व संस्तुति के लिए एक समिति का गठन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर 2017 तक 2,644 करोड़ रुपए लागत के प्रस्तावों का मूल्यांकन हुआ है।

वित्त वर्ष 2018-19 में निर्भया कोष में विभिन्न मंत्रालयों को आवंटन इस प्रकार है - महिला व बाल विकास मंत्रालय को 500 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग को 82 करोड़ रुपए व सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय को 174 करोड़ रुपए।



11. बाल कल्याण

विश्व में सबसे अधिक बच्चे भारत में हैं। ये बच्चे कई प्रकार के संकटों से असुरक्षित हैं। इस संदर्भ में कई लक्ष्य हमारे सामने हैं।

केन्द्रीय बजट इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाता है व बच्चों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बच्चों के लिए बजट चाईल्ड बजट स्टेटमेंट - (सीबीएस) - में रखा जाता है व वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान (बी.ई.) में इसकी कुल धनराशि 79,088 करोड़ रुपए है। यह वर्ष 2017-18 (बी.ई.) में 71,035 करोड़ रुपए थी यानि इस वर्ष 7,783 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पहले के वर्षों की तरह इस वर्ष भी बच्चों के लिए बजट का कुल केन्द्रीय बजट का 3 प्रतिशत।

बाल बजट का विश्लेषण

बच्चों के लिए बजट आवंटन में 2018-19 (बी.ई.) में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें बाल-विकास के विभिन्न घटकों का हिस्सा लगभग यथास्थिर बना रहा - शिक्षा (69.5%) स्वास्थ्य (3.9%), विकास (25.2%) व सुरक्षा (1.3%)। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग को कुल बाल बजट का 61% हिस्सा मिला व महिला तथा बाल विकास मंत्रालय को 26% हिस्सा मिला है।

विभिन्न योजनाओं के लिए बजट आवंटन

इस वर्ष के बाल बजट में जो वृद्धि हुई है, उसमें अधिकतम हिस्सा तीन योजनाओं का है - राष्ट्रीय पोषण मिशन (2,929 करोड़ रुपए), आंगनवाड़ी सेवाएं (16,334 करोड़ रुपए) और सर्व शिक्षा अभियान (26,128 करोड़ रुपए)। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में स्वीकार किया गया है कि पोषण, स्वास्थ्य व व्यवहार बदलाव में सकारात्मक परिवर्तन लाने में माध्यमिक शिक्षा की भूमिका अहम है। दूसरी ओर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, विशेषकर निर्धन व सीमान्त वर्गों में। इस स्थिति में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर बजट आवंटन बढ़ाने की जरूरत थी। किन्तु सीमान्त समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण योजनाओं (जैसे 'बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय स्कीम', 'अल्प संख्यकों की मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पश्चात् की छात्रवृत्ति) के आवंटन में 2017-18 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में 2018-19 (बी.ई.) में कमी आई है। माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं में कटौती सरकार के माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाने के लक्ष्य से मेल नहीं रखती है। हाल के वर्षों में बच्चों की कई समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराध (वर्ष 2015-16 की अपराध दर 13.6%) व बाल अपराध के मामले (2015-16 में 7.2%) बढ़ रहे हैं। हालांकि एकीकृत बाल सुरक्षा योजना का बजट (725 करोड़ रुपए) वर्ष 2018-19 में कुछ बढ़ा है।

तालिका 11.1

बाल-बजट योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
सर्व शिक्षा अभियान	24,097	21,661	21,685	23,500	26,128
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3,398	3,563	3,698	3,914	4,213
मिड-डे मील	10,523	9,145	9,475	10,000	10,500
आंगनवाड़ी सेवाएं	16,684	15,433	14,433	15,245	16,334
एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	446	497	577	648	725
राष्ट्रीय पोषण मिशन	20	56	199	550	2929
राष्ट्रीय क्रेष स्कीम	98	133	125	65	128

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित।

निष्कर्ष

हमारे देश में बच्चों से संबंधित गंभीर समस्याएं व चुनौतियां हैं। सरकारी रिपोर्टों में भी यह स्वीकार किया गया है कि बच्चों के लिए दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में कमी है व उनके लिए जरूरी कार्यक्रमों के ढांचे में भी खामियाँ हैं। एन.पी.ए.सी 2016 व नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में बच्चों संबंधी उचित आंकड़ों के अभाव को नीति निर्धारण व कार्यक्रम क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। एन.पी.ए.सी 2016 ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा बच्चों पर खर्च होना चाहिए। दूसरी ओर इस वर्ष का केन्द्रीय बजट इस संस्तुति के आस-पास भी नहीं है। दूसरी ओर, बच्चों संबंधी आंकड़ों के आधार को मजबूत करने के लिए भी कोई विशिष्ट घोषणा नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत पोषण प्रयासों के लिए अधिक आवंटन स्वागत योग्य कदम है। हालांकि बच्चों के लिए कुल बजट कोई उत्साहवर्धक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है व अभी बहुत कुछ अन्य करना शेष है।



12. विकलांग-कल्याण

2018-19 के बजट भाषण में अपंग व्यक्तियों के लिए मात्र दो संदर्भ हैं -

- क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लक्ष्य समूह के रूप में - पिछले वर्ष के बजट अनुमान (बी.ई.) की तुलना में इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन में वर्ष 2018-19 में बजट (बी.ई.) में मात्र 2.83 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
- ख) स्टैंडर्ड डिडक्शन के विषय में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अपंगता प्रभावित व्यक्ति डिडक्शन के बावजूद अपना यात्रा भत्ता प्राप्त करते रहेंगे।

नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा ने अपंगता संबंधी विशिष्ट जानकारी वाले सर्वेक्षण की बात कही है व अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उचित क्रियान्वयन पर जोर दिया है। पर वर्ष 2018-19 के बजट में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। अपंगता प्रभावित व्यक्ति अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन की स्कीम के लिए आवंटन की पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आर.ई.) से तुलना करें, तो इस बजट में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पूरा आवंटन ही 'एसस इंडिया अभियान' पर खर्च हो रहा है जो कि इस कानून का केवल एक पक्ष है। अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं है।

तालिका 12.1

अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के सशक्तीकरण के विभाग के आवंटन (करोड़ रुपए)

मद	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
सचिवालय	17.6	19.8	24.8	25.5
अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के				
कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम	323.5	351.7	393.3	368.1
अपंगता प्रभावित छात्रों की छात्रवृत्तियां				75.7
स्वशासित संस्थान	210.6	238.8	242.2	257.3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	35.0	37.7	37.7	43.5
सिबदा	186.8	207.0	257.0	300.0
कुल	772.6	855.0	955.0	1070.0

स्रोत - इक्वल्स द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

ध्यान योग्य बात है कि अपंगता प्रभावित छात्रों की छात्रवृत्तियां पहले 'अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रम' में ही शामिल थीं। इनमें लगभग एक करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के विभाग के लिए वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में कुल आवंटन 1,070 करोड़ रुपए है जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आर.ई.) की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय -

स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग में सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम हैं जिनमें अपंगता प्रभावित छात्र एक लक्ष्य समूह है। पर यह मंत्रालय अपंगता प्रभावित बच्चों के लिए आंकड़े नहीं देता है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार के कानून (2016) ने विकलांग व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएँ व बच्चों के जन्म से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि, किसी विकलांग स्वास्थ्य बीमा आदि) उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके लिए कोई विशिष्ट आवंटन बजट में नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम ने संस्थागत के स्थान पर सामुदायिक समाधानों पर जोर दिया है। दूसरी ओर इस अधिनियम के मानदंडों की अवहेलना करते हुए अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवंटन में कमी की प्रवृत्ति नजर आती है। इस कानून के दायरे में आने वाले व्यक्तियों (जैसे कि थलेसेमिया प्रभावित व्यक्तियों) से जुड़ी योजना के लिए बजट दस्तावेज में कोई स्थान नहीं है। प्रस्तावित हेल्थ व वेलनेस केन्द्रों में शारीरिक व मानसिक अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए विशिष्ट चिकित्सा व पुनर्वास सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

तालिका 12.2

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

स्कीम	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन	239.6	274.3	249.0	277.1

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा व राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अपंगता प्रभावित व्यक्तियों की पहचान एक लक्ष्य समूह के रूप में की है। पर अपंगता प्रभावित व्यक्तियों के लिए वित्तीय आवंटन केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। इस पद पर आवंटन वर्ष 2017-18 (ब.अ.) में 249 करोड़ रुपए था और वर्ष 2018-19 (ब.अ.) में 277 करोड़ रुपए।



13. अनुसूचित जातियां

अनुसूचित जातियां आज भी भारतीय समाज के सबसे वंचित समुदायों में से एक हैं। उनके विकास के लिए पिछले वर्षों में अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं के माध्यम से सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद, सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में वे अन्य समुदायों की तुलना में पीछे हैं।

अनुसूचित जातियों का कुल बजट -

केन्द्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति से संबंधित प्रधान विभाग है। इस मंत्रालय के बजट में पिछले कुछ वर्षों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान (आर.ई.) में इस विभाग के लिए 6,908 करोड़ रुपए का आवंटन था जो वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में लगभग 12% बढ़कर 7,750 करोड़ रुपए हो गया।

वर्ष 2018-19 बजट में 29 विभागों ने 279 स्कीमों व कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए आवंटन किया। अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए कुल आवंटन वर्ष 2017-18 (आर.ई.) में 52,719 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 7 प्रतिशत बढ़कर 56,619 करोड़ रुपए हो गया। किन्तु वर्ष 2017-18 के बजट में योजना व गैर योजना बजट को मिला लेने के बाद केन्द्र सरकार ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे स्कीम के कुल प्रस्तावित खर्च में अनुसूचित जाति उप-योजना के खर्च के हिस्से को रिपोर्ट करें। इस स्थिति में सामान्य स्कीमों से जो 'प्रसंगवश लाभ' अनुसूचित जातियों को मिल रहा है वह अनुसूचित जाति उप-योजना में रिपोर्ट हो जाता है। इस तरह से कार्य करने से मंत्रालयों को यह प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि वे अनुसूचित जातियों के मामले में जो विशिष्ट चुनौतियां हैं उनकी पहचान करें तथा उनके लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटन करें। एक अन्य चिंता अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए आवंटित धन के उपयोग से संबंधित है। आनलाईन मॉनीटरिंग पोर्टल (ई-उत्थान) के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी 29, 2018 तक अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए सुचिश्चित फंड में से मात्र 61 प्रतिशत ही विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए। दसाथ ही, वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में संसाधन हस्तांतरण की समस्या की बजट से भी आवंटित राशि खर्च नहीं हो पाती है।

अनुसूचित जातियों के कार्यक्रमों व स्कीमों के लिए बजट

सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित जिन योजनाओं के बजट निरंतरता से बढ़े हैं वे हैं - 'प्रीवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीस एक्ट 1989 तथा सिविल अधिकार रक्षा अधिनियम क्रियान्वयन तंत्र को मजबूत करने की योजना तथा अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की स्कीम। दूसरी ओर अनुसूचित जातियों को मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18 (आर.ई.) में 3,348 करोड़ रुपए से कम होकर वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 3000 करोड़ रुपए रह गई। यह आवंटन उस समय कम हुआ जब विभाग की मांग थी कि एक पैकेज देकर बकाया का भुगतान कर दिया जाए। यह बकाया राशि वर्ष 2016 के अंत तक 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसका प्रतिकूल असर स्कीम के क्रियान्वयन पर पड़ता है जिससे हजारों अनुसूचित जातियों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी सहायता से वंचित रह जाते हैं। मैला ढोने वालों (मैनुअल स्कैवेन्जर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार स्कीम पर वर्ष

2014-15 से वर्ष 2016-17 तक वास्तविक खर्च शून्य ही रहा। इस स्कीम के लिए वर्ष 2017-18 का बजट 5 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2018-19 में 20 करोड़ रुपए है।

तालिका 13.1

सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण विभाग की प्रमुख योजनाओं का आवंटन (करोड़ रुपए)

मुख्य स्कीम	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
1. अनुसूचित जातियों के शिक्षा विकास की स्कीमें ♦	2,670	3,046	3,585	3,863	3,670
2. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	30	196	63	40	70
3. प्रीवेन्शन ऑफ एट्रोसिटिस एक्ट 1989 और सिविल अधिकार रक्षा अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के तंत्र को मजबूत करना	147	119	223	305	404
4. मैनुअल स्कैवन्जर्स के पुनर्वास की स्व-रोजगार स्कीम	0	0	0	5	20
5. अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	700	800	798	800	1000
6. अनुसूचित जातियों में उद्यम विकास के प्रयास ♦♦	662	170	248	233	327
7. सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग के अन्य कार्यक्रम ♦♦♦	117	163	203	194	99

नोट - ♦ अनुसूचित जातियों की विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीम, हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास

♦♦ अनुसूचित जाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास निगम, जोखिम पूंजी, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, अनुसूचित जाति क्रेडिट गारंटी स्कीम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

♦♦♦ बाबा साहब डॉ० बी.आर. आंबेडकर प्रतिष्ठान, डा.बी.आर. आंबेडकर अंतराष्ट्रीय केन्द्र, डा. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता, अनुसूचित जाति आयोग

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से सीबीजीए द्वारा संकलित

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग का बजट स्थिर रहा है। पिछले दो वर्षों के बजटों में इसे महज औपचारिकता के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह देश के समावेशी विकास की प्रक्रिया को पीछे धकलने वाला कदम है।



14. अनुसूचित जनजातियां

नीति आयोग के तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के मामले में अनुसूचित जनजातियाँ सामान्य भारतीय जनसंख्या से लगभग 20 वर्ष पीछे हैं। उनकी माध्यमिक स्कूल में कम उपस्थिति, अधिक बेरोजगारी दर व उनसे संबंधित कानूनों का अनिश्चित क्रियान्वयन चिन्ता के मुख्य विषय हैं। ये कमियां तब तक बनी रहेंगी जब तक विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों संबंधी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जाएंगे। इसके लिए बेहतर रणनीति तथा उनसे जुड़ी कार्य-योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट मुहैया करने की आवश्यकता है।

आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत बजट

बजट-रिपोर्टिंग का दायरा बढ़ने की वजह से आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत आवंटन पिछले दो वर्षों 2016-17 (वास्तविक खर्च) व 2017-18 (संशोधित अनुमान) में बढ़ा है। वर्ष 2017-18 (आर.ई.) की तुलना में वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में भी इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई व यह 39,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पर इस बढ़ते आवंटन के दावे में कई पेंच हैं। आदिवासी उप-योजना की रणनीति सामान्य कमजोर हुई है व अपने लक्षित, नीति-केंद्रित एप्रोच से भटक गई है। दूसरी बात यह है कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में जो लाभ अनुसूचित जनजातियों को महज प्रसंगवश हो रहा है अब उसकी रिपोर्टिंग भी उप-योजना में हो रही है। अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत उन योजनाओं को शामिल किया गया है जिनका इनके कल्याण से सीधा और विशिष्ट संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए कोयला मंत्रालय ने इस संदर्भ में 'कोयले व लिगनाईट की खोज' को दर्ज किया है व दूरसंचार विभाग ने 'रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित नेटवर्क' को दर्ज किया है। यह रोचक सवाल है कि इस तरह के प्रयासों से अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट समस्याएं कैसे दूर हो रही हैं या विशिष्ट विकास की संभावनाएं किस तरह बढ़ रही हैं।

आदिवासी मामलों के मंत्रालय की योजनाओं का बजट

आदिवासी मामले के मंत्रालय का बजट वर्ष 2017-18 (आर.ई.) में 5,239 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में 6,000 करोड़ रुपए हो गया। यह 13 प्रतिशत की वृद्धि है। 2017 की तुलना में वर्ष 2018-19 (बी.ई.) में लगभग सभी स्कीमों में वृद्धि दर्ज हुई है। अनुसूचित जनजातियों संबंधी सरकारी प्रयासों में अब शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है - आवासीय स्कूल आरंभ करना व अध्यापकों का चयन आदिवासी समुदाय से करना। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले व न्यूनतम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले सभी प्रखंडों में एक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किया जाएगा। यह नवोदय विद्यालय की बराबरी का होगा व उसमें स्थानीय कला व संस्कृति सुरक्षित करने की विशेष सुविधाएं होंगी तथा साथ में कौशल

विकास व खेलों में प्रशिक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।

तालिका 14.1

आदिवासी मामले के मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के बजट आवंटन (करोड़ रुपए)

मुख्य स्कीम	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1,040	1,132	1,195	1,350	1,350
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) संबंधित योजना	1,133	1,392	1,266	1,500	1,800
वनबंधु कल्याण योजना : अनुसूचित जनजातियों की 'अम्ब्रेला' योजना	100	629	469	394	420
अनुसूचित जन-जाति बच्चों की शिक्षा की 'अम्ब्रेला' योजना ♦	1,059	1,221	1,740	1,869	2,038

नोट ♦ अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विदेश में शिक्षा की छात्रवृत्ति

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

निष्कर्ष

अपने चुनावी घोषणा पत्र में मौजूदा सरकार ने आदिवासियों के सशक्तीकरण व उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र, समावेशी रणनीति बनाने का वायदा किया था। सरकार ने अनेक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार में इस संदर्भ में कई प्रयास किए हैं। इनसे अनुसूचित जन-जातियों को वास्तव से कितना लाभ मिलेगा यह इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके विकास के लिए सरकार की समग्र सोच क्या है। इस समय सरकार की बजटीय रणनीति डाइल्यूट हो चुकी है, व आदिवासी लोगों के शिक्षा व स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च, आदिवासियों के लिए फंड के विकेंद्रीकरण व अनुसूचित जन-जाति की उप-योजना के लिए मानदंड आधारित फंड सुनिश्चित करने के संदर्भ में अभी पर्याप्त कार्य नहीं हो सका है।



15. अल्पसंख्यक

सच्चर समिति की संस्तुतियों के 10 वर्ष बाद नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, "मुस्लिम सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं व वे दूसरों से अर्थिक, स्वास्थ्य व शिक्षा के संकेतकों में पीछे हैं। वेतन प्राप्त रोजगारों में मुस्लिम भागेदारी कम है। मुस्लिम कामगार अनौपचारिक क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है जहां कम मजदूरी, बदतर कार्य स्थितियाँ व सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। (तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा : नीति आयोग, 2017)। मुस्लिमों में साक्षरता दर 71.46 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 74.71 प्रतिशत है। निरक्षर लोगों की बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी है। स्नातक या उससे ऊँचे स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वालों का अनुपात मुस्लिम समुदाय में अन्य सम्प्रदायों की तुलना में सबसे कम है (केवल 5%)। मुस्लिम समुदाय में अनौपचारिक रोजगार का हिस्सा 96.18 प्रतिशत है जबकि औपचारिक रोजगार का हिस्सा 3.82 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रोजगार 8 प्रतिशत है।

अल्पसंख्यकों के लिए बजट के प्रावधान व नीति की प्राथमिकता के लिए प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्रीय कार्यक्रम (15 पीपी) वर्ष 2006 से आरंभ हुआ। इसने आर्थिक व सामाजिक विकास के 15 क्षेत्रों का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में एक नई बहु-क्षेत्रीय विकास रणनीति आरंभ की गई जिसे 'मल्टी-सेक्टर विकास कार्यक्रम' कहा गया। इसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था तथा शिक्षा व रोजगार की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की कुछ योजनाओं में भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है।

तालिका 15.1

केन्द्रीय बजट में अल्पसंख्यकों के लिए कुल आवंटन (करोड़ रुपए)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
15 पीपी के अंतर्गत वित्तीय आवंटन (100%) व मल्टी-सेक्टरल विकास कार्यक्रम	2,174	3,026	3,089	3,655	3,827
15 पीपी के अंतर्गत आवंटन (15%)	24,999.1	27,291.86	23,565.33	11,912 ₹	6,102.9 ₹
कुल आवंटन/अल्पसंख्यकों पर खर्च	27,173	30,318	26,654	15,567	9,930
कुल केन्द्रीय बजट	14,10,372	15,59,447	16,63,673	17,90,783	20,14,407
कुल केन्द्रीय बजट में अल्पसंख्यकों पर कुल खर्च का प्रतिशत	1.93	1.94	1.6	0.87	0.49

नोट ₹ कुछ स्कीमों के पूरे वर्ष के आंकड़े नहीं हैं

₹ अनेक स्कीमों के पूरे वर्ष के आंकड़े नहीं हैं

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

यहां इस ओर ध्यान दिलाना जरूरी है कि वर्ष 2016-17 में कुल केन्द्रीय बजट का मात्र 0.49 हिस्सा ही अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट तौर पर समर्पित था। धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 21% हिस्सा है। 15 पीपी और मल्टी सेक्टरल विकास कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो वर्ष 2012-13 के बाद इसके घटने

की प्रवृत्ति नजर आती है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का आवंटन इस बजट में 12 प्रतिशत बढ़ा है, पर इस मंत्रालय में फंड का आवंटन-उपयोग-अनुपात जो 2015-16 में 97.8 प्रतिशत थी, वह 74% तक गिर गई है। इसका सैक्टरल विकास कार्यक्रम व छात्रवृत्तियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। डिग्री कालेज, स्कूल भवन, प्रयोगशाला उपकरण, उत्पादन में सहायक सामग्री, निशुल्क साईकल व आय सृजन करने वाले ढांचे - इन सब में स्वीकृत इकाइयों में परियोजना पूर्णता दर कमजोर पाई गई है। मल्टी सैक्टरल विकास कार्यक्रम में स्वीकृत इकाइयों, जल आपूर्ति, आवास व आय सृजन ढांचे में पूर्णता दर कम है। मल्टी सैक्टरल विकास कार्यक्रम में कई गतिविधियां आरंभ ही नहीं हुई हैं।

सच्चर समिति रिपोर्ट (2005) में कई नीतिगत प्रयासों के क्रियान्वयन (जैसे राष्ट्रीय डेटा बैंक की स्थापना, समान अवसर आयोग की स्थापना, महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों, सुरक्षा व प्रशासनिक एजेंसियों के महत्वपूर्ण निर्णयों में मुस्लिम समुदाय सहित विभिन्न उपेक्षित समुदायों की भागेदारी को बढ़ाने के लिए विविधता सूचकांक बनाने के संदर्भ में प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। हालांकि, उनका वास्तविक क्रियान्वयन अभी नहीं हुआ है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की कुंडू समिति रिपोर्ट व नीति आयोग एक्शन एजेंडा (2017) में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए अपनाई गई सार्वजनिक नीतियों में कई बड़ी कमियां हैं जैसे अपर्याप्त बजट, अनुपयुक्त नीति और कमजोर क्रियान्वयन जिनके कारण निर्धनों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।



16.जलवायु परिवर्तन

इस वर्ष के आर्थिक सवेक्षण 2018-19 में स्पष्ट संदेश है कि मध्यम-काल दृष्टिकोण से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से कृषि आय 25 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इसके बावजूद केन्द्रीय बजट 2018-19 में पर्यावरण रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त सार्वजनिक निवेश का प्रावधान नहीं है। संबंधित मंत्रालयों के लिए पहले की तरह कम आवंटन है। ये मंत्रालय हैं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नवीन शाश्वत ऊर्जा मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय का बजट 2675 करोड़ रुपए पर स्थिर है जबकि नवीन व शाश्वत ऊर्जा मंत्रालय के बजट में मात्र 8.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

तालिका 16.1

पर्यावरण, वन व जलवायु बदलाव मंत्रालय के अंतर्गत जलवायु बदलाव अनुकूलन के लिए कार्यक्रम विशिष्ट आवंटन (करोड़ रुपए)

कार्यक्रम	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बी.ई.)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
जलवायु बदलाव एक्शन योजना	137	42.67	40	33	40
राष्ट्रीय अनुकूलन फंड	129	96.94	110	108.25	110

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित

जलवायु बदलाव को नियंत्रित करने व देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के संदर्भ में सरकार का मुख्य जोर शाश्वत ऊर्जा पर है। इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर खर्च का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 16.2

नई व शाश्वत ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए)

नवीन एवं शाश्वत ऊर्जा के मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
ग्रिड संबंधी शाश्वत ऊर्जा	1,845	2,468	2,824	2,631	3,763
ऑफ ग्रिड/वितरित व विकेंद्रित शाश्वत ऊर्जा	160	97.18	689	1,121	1,037
अनुसंधान, विकास व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	127	106	227	81	94

स्रोत - सीबीजीए द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित।

पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी शाश्वत ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव शाश्वत ऊर्जा के आवंटन में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है एवं अनुसंधान, विकास व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर जहां ऑफ ग्रिड / वितरित व विकेंद्रित शाश्वत ऊर्जा से सरकार को सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सब तक बिजली पहुंचाने में बहुत मदद मिल सकती है, वहां वर्ष 2018-19 के बजट (बी.ई.) में इसके आवंटन में 7.5 प्रतिशत की कमी आई है।

एक ओर आर्थिक सर्वेक्षण में जलवायु परिवर्तनों का कृषि आय पर होने वाले गंभीर असर को स्वीकार किया गया है, वहीं बजट में जलवायु बदलाव क्षेत्र में जरूरी सार्वजनिक निवेश पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं व स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए हुए आवंटन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन की गंभीरता तो स्वीकार की जा रही है पर इस क्षेत्र में उसके अनुरूप सार्वजनिक निवेश नहीं हो रहा है।




17. कराधान

कराधान के क्षेत्र में अनेक नीतिगत बदलाव आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रही है, व इसमें कुछ सफलता मिली है। व्यक्तिगत आय कर में पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है। केंद्रीय-कर-जीडीपी अनुपात में कुछ वृद्धि हुई है। केन्द्रीय कर-जीडीपी का अनुपात नीचे रेखाचित्र में दिखाया गया है -

चार्ट 17.1

कर - जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)



● एकत्रित कर में जीएसटी उपकर क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है।

स्रोत : सी.बी.जी.ए. द्वारा विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट से संकलित आंकड़ों पर आधारित।

नीति स्तर पर मुख्य बदलाव हैं : -

व्यक्तिगत आय कर

टैक्स 'स्लैब' व उनसे जुड़ी दर में परिवर्तन नहीं हुआ है। वेतनभोगी वर्ग में मेडिकल व यात्रा छूट के स्थान पर 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। शिक्षा उपकर 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है।

निगम आयकर

पहले वित्त मंत्री ने निगम आयकर को 25% तक कम करने और सभी छूटें हटाने का वायदा किया था। इस वर्ष उन्होंने 25% कर को उन फर्मों तक विस्तार किया जिनका वार्षिक आय 250 करोड़ रुपए

वार्षिक है। यहाँ यह भी बताना चाहिए कि जहाँ औपचारिक तौर पर निगम आय कर 34% है, वहाँ बड़ी कंपनियों (500 करोड़ से अधिक रेवेन्यू) द्वारा अदा किया गया वास्तविक कर प्रायः 24% है। कारपोरेट आय कर पर सरचार्ज में भी कुछ वृद्धि हुई है।

दीर्घ कालीन कैपिटल गेन्स टैक्स

‘मेक इन इंडिया’ प्रोजेक्ट के अनुरूप व घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने कार, मोटरसाईकिल, मोबाईल फोन व उसके पार्ट, स्मार्ट घड़ियों, इलेक्ट्रानिक आईटम, गाड़ियों के अतिरिक्त उत्पाद, जूतों-चप्पल, विशेष तरह के ज्यूलरी पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है।

रेवेन्यू फोरगॉन

रेवेन्यू फोरगॉन वह राशि है जिसे राज्य स्वयं इस कारण त्यागता है क्योंकि वह कर-दाता को किसी संदर्भित टैक्स व्यवस्था की तुलना में कुछ छूट या प्रोत्साहन देना है। टैक्स संबंधी प्रोत्साहन विशिष्ट टैक्स दर, छूट, कटौती, रिबेट, क्रेडिट व कर बाद में लेने से संबंधित हो सकते हैं। पिछले दशक में प्रायः जीडीपी के 5 से 6 प्रतिशत के बराबर रेवेन्यू फोरगॉन (त्याग) होता रहा है। वर्ष 2015-16 में इसे बहुत तेजी से कम कर 2.1% तक दर्शाया गया व 2017-18 में 1.2% दर्शाया गया है। यह कमी बहुत हद तक रेवेन्यू फोरगॉन का अनुमान लगाने के तौर-तरीकों में परिवर्तन की वजह से है, न कि इस छूट को कम करने के किसी वित्तीय प्रयास की वजह से।



18. वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व केन्द्रीय बजट 2018-19


केन्द्रीय बजट 2018-19 पिछले वर्षों के बजट से इस रूप में भिन्न है कि अप्रत्यक्ष करों का बड़ा हिस्सा बजट के प्रस्तावों में नहीं है। वस्तु व सेवाकर के पिछले वर्ष जुलाई में क्रियान्वयन के साथ लगभग सभी मुख्य केन्द्रीय व राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी की परिधि में आ गए हैं। परिणामस्वरूप कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क व मूल तट-कर (जो जीएसटी की परिधि से बाहर है) को छोड़ दें तो केन्द्रीय बजट 2018-19 में अप्रत्यक्ष करों में कोई बड़े बदलाव नहीं हैं। पर जीएसटी के अन्तर्गत एकत्रित राजस्व का महत्त्व बना हुआ है क्योंकि यह केन्द्र की कुल प्राप्तियों में महत्त्वपूर्ण है।

जुलाई 1, 2017 को जीएसटी आरंभ होने के बाद इसमें अनेक संशोधन हुए क्योंकि जीएसटी का जो मॉडल आरंभ में क्रियान्वित हुआ उसमें अनेक पेचीदगियां व चुनौतियां थीं। यह विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में पाया गया। जीएसटी ने अनौपचारिक क्षेत्र के छोटे उत्पादकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। पहली बात यह है कि कर देने की सीमा-रेखा बदलने से अनेक छोटे उत्पादक पहले की कर प्रणाली की तुलना में अब कहीं अधिक टैक्स के दायरे में आ गए हैं। (1) इसका अर्थ यह हुआ है कि पहले की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की तुलना में जीएसटी कर प्रणाली में छोटे उद्यमियों पर कर का भार बढ़ गया है। रिटर्न कई बार भरने की मजबूरी के कारण जीएसटी ने कर भरने की प्रक्रिया का बोझ भी छोटे उद्यमों पर बढ़ा दिया है। इन सबका छोटे उद्यमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। (2) इन समस्याओं व चुनौतियों को कम करने के प्रयास किए गए हैं, कर-दरों को संशोधित किया गया ताकि विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के वर्गीकरण में कठिनाई न हो। प्रक्रियाओं को सरल करने का प्रयास भी हुआ है।

जीएसटी से राजस्व एकत्र करने में भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेषकर अक्टूबर 2017 के बाद निर्धारित लक्ष्यों से कम जीएसटी एकत्र हुआ है। वर्ष 2017-18 में जीएसटी के लिए 12 की जगह 11 महीने मिलेगा, जिससे अप्रत्यक्ष कर प्राप्ति में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान (बी.ई.) की तुलना में वर्ष 2017-18 के संशोधित अनेमान (आर.ई.) में 51,856 करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी। वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी प्राप्ति की जो अनुमान है उसमें बहुत वृद्धि दिखाई गई है, आशावादी लगता है। यह उम्मीद है कि नई कर प्रणाली की समस्याएं जब दूर की जाएंगी तो आगामी राजकोषीय वर्ष में जीएसटी राजस्व में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी। यह इस कारण भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अगले वर्ष के बजट से यदि संसाधन उगाही में कमी हुई तो वित्त मंत्री के पास कर-दरों में फेर-बदल करने की गुंजाइश कम ही होगी।

चित्र 18.1

मासिक जीएसटी राजस्व प्राप्ति - जुलाई से दिसंबर 2017 (करोड़ रुपए)



नोट -

जीएसटी के आंकड़ों में जीएसटी के सभी अवयव हैं जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी व आईजीएसटी। इसमें 'जीएसटी क्षति पूर्ति उपकर' से प्राप्त राशि भी शामिल है, जो लोक लेखा के अक्षय कोष में हस्तांतरित होती है।

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार

संदर्भ -

(1) सुदीपतो बनर्जी व सोनिया प्रसाद जीएसटी व्यवस्था में छोटे व्यवसाय - इकनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली, वाल्यूम एल II, नं. 38, पीपी 18-22

(2) श्रेया रॉय चौधरी (2017) 'रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं' - वाराणसी के साड़ी बुनकर अपने करघे छोड़ रहे हैं जबकि जीएसटी ने व्यवसाय को 50 प्रतिशत कम किया है। - स्क़ाल.इन अक्टूबर 2, 2017, एच.टी.टी.पी.एस.//स्क़ाल.इन/लेख 852570/



19. अन्तर्राष्ट्रीय कराधान

वित्तीय पारदर्शिता

जी 20 के सदस्य के रूप में भारत ने उन कर पारदर्शिता मानकों (जैसे कि बीएपीएस या बेस इरोसियन व प्रॉफिट शेरिंग) को स्वीकार व क्रियान्वित किया है जो ओ.ई.सी.डी. द्वारा समर्थित है। इन प्रतिबद्धताओं को कानूनी बदलाव लाकर क्रियान्वित किया गया है जिसके कई हिस्से हैं जैसे कर उद्देश्य के लिए कर संबंधी सूचना का आदान-प्रदान, कर-बचाव विरोधी नियम, मनी लांड्रिंग निरोधी उपाय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों रिपोर्टिंग एवं लाभदायक स्वामित्व की रजिस्ट्री से जुड़े कानून आदि।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से भारत सरकार ने 750 मिलियन यूरो (5500 करोड़ रुपए से अधिक) की आय वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कारोबारों व करों की जानकारी को रिपोर्ट करने के प्रस्ताव रखे। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्राप्त रेवेन्यू, अर्जित मुनाफे, भुगतान किए टैक्स, कर्मियों की संख्या, परिसंपत्ति संबंधी जानकारी अलग-अलग देश के संदर्भ में दी जाती है। पर 5500 करोड़ रुपए रेवेन्यू की सीमा भारत के संदर्भ में बहुत अधिक है व इसे कम करना जरूरी है।

केन्द्रीय बजट ने 'परमानेंट इस्टेबलिशमेंट (पी ई) नियम में संशोधन किया है जिससे अनिवासी भारतीय' की 'महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति' का दायरा बढ़ा है व बिजनेस-संबंध के रूप में वर्गीकृत हुआ है। इसमें गैर-आवासीय के लिए व्यवसाय करने वाले शामिल व्यक्ति को भी शामिल किया है। यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि जहां आर्थिक मूल्य वृद्धि हो रही है वहां टैक्स लगे। यह संशोधन वर्ष 2019-20 में लागू किया जाएगा।

जिन कंपनियों का उपयोग मनी-लांड्रिंग के लिए हो रहा था उनकी पहचान की गई व शैल कंपनी (फर्जी कंपनी) होने के आधार पर उन्हें पिछले वर्ष के दौरान डीलिट किया गया। ऐसी इकाइयों के डायरेक्टरों को भी सजा के तौर पर 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया, हालांकि इन इकाइयों के वास्तविक लाभधारियों की पहचान नहीं हो सकी। वास्तविक लाभधारी वे हैं जो वास्तविक मालिक हैं या (कानूनी तिकड़मों से) वास्तविक लाभ उठाते हैं व इकाई में वोटिंग अधिकार रखते हैं।

ओ.ई.सी.डी. से जुड़ा एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान है पारदर्शिता व कर उद्देश्यों के लिए सूचना के आदान प्रदान का ग्लोबल फोरम (जिसे संक्षेप में यहां ग्लोबल फोरम कहा जा रहा है)। इस फोरम ने हाल ही में कर जानकारी के संबंधी स्वचालित आदान-प्रदान के क्रियान्वयन की समीक्षा रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट जुलाई 2013 से जून 30, 2016 की अवधि के लिए है। भारत का स्थान एक पायदान नीचे गिरा है। यह इस कारण हुआ क्योंकि वास्तविक लाभकारी स्वामित्व की जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 ने 'शेयर में लाभकारी रुचि' की परिभाषा कंपनियों के लिए जारी की ताकि 25 प्रतिशत सीमा के लाभकारी ओनर की पहचान हो सके। बी ओ या बनेफिशियल ओनर का रजिस्टर

बनाना होगा व कंपनियों के रजिस्ट्रार (कारपोरेट मामलों के मंत्रालय) को घोषित करना होगा। इस रजिस्ट्री में व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, पता, कम्पनी के स्वामित्व की विस्तृत जानकारी व ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। बी ओ रजिस्ट्री को आरंभ करना एक अच्छा कदम है, पर जो सीमा निर्धारित की गई है उसका दुरुपयोग हो सकता है। जानकारी घोषित करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए अनेक प्रतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं व तय सीमा को डाइल्यूट किया जा सकता है। एक ऐसी बेनीफिशियल ओनरशिप रजिस्ट्री जो पब्लिक को उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जब कि कुछ अन्य देश जैसे अफगानिस्तान, केन्या, घाना, स्लोवाकिया व यूके यहां तक पहुंच सके हैं। केन्द्र ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है कि कुछ वर्गों के व्यक्तियों को ऐसी जानकारी देने की जिम्मेदारी से छूट दे सके। यह एक चिंता का विषय है व भारतीय सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

व्यापार में सुविधा के लिए जानकारी के आदान-प्रदान की आपसी सहमति

केन्द्रीय बजट 2018 ने वित्त बिल 2018 में प्रस्तावित किया है कि व्यापार में सुविधा के लिए जानकारी के आदान-प्रदान की एक आपसी सहमति स्थापित की जाए। इसमें कहा गया है कि केन्द्र किसी दूसरे देश से व्यापार में सुविधा, इसके लिए जानकारी के आदान-प्रदान, जोखिम विश्लेषण, वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनों या अपराधों की जांच, रोकथाम व इन प्रावधानों के पालन पर सहमति या समझौता कर सकता है।

इस प्रस्ताव के बारे में अधिक स्पष्टता की जरूरत है कि इसका क्या असर होगा व इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी।



20. जवाबदेही संस्थान व प्रक्रियाएं

सुशासन की बहस में पारदर्शिता व जवाबदेही की अवधारणाओं का व्यापक उपयोग होता है। सामाजिक जवाबदेही से हमारा अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिससे राज्य को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु नागरिकों के सशक्तीकरण के संस्थागत स्थान व प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। सामाजिक जवाबदेही में ऐसे तत्व हैं जो सूचनाओं का अधिकार है, शिकायतें दर्ज करने के व उनकी पावती प्राप्त का अधिकार हो, समयबद्ध शिकायत निवारण के अवसर हों, सभी प्रभावितों की शिकायत निवारण में भागेदारी हो। शिकायतकर्ताओं को धमकियों से रक्षा व ऐसे सार्वजनिक मंच उपलब्ध करवाए जाएं जहां नागरिक अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग कर सकते हैं व उसका क्रियान्वयन करवा सकते हैं।

पिछले वर्ष सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास आरंभ किए हैं जिनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है। इनमें ये कदम हैं - ग्रामीण परिसंपत्तियों की जी.आई.एस. आधारित मैपिंग, 7 प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वित्तीय व भौतिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग, खुले डाटा पोर्टल <https://data.gov.in/socialaudits> पर और आगे का कार्य, सार्वजनिक खर्च का नागरिकों द्वारा ऑडिट करने व मूल्यांकन करने का संस्थागत साधन उपलब्ध करवाना। इसने मनरेगा के आरंभ के समय में बहुत प्रगति की है। भारत के महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2016 में 'सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) के अंकेक्षण मानक' स्थापित किए। जिससे सर्वोच्च ऑडिटिंग संस्था द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने व नागरिकों द्वारा सार्वजनिक खर्च को ऑडिट करने के मानक निर्धारित करने की भूमिका के मानक तय करने की बड़ी पहल हुई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने (विशेषकर मनरेगा के अन्तर्गत) अंकेक्षण मानकों को क्रियान्वित करने में दृढ़ निश्चय दिखाया है, व यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न राज्यों में मनरेगा का सोशल ऑडिट करने वाली स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण ईकाइयां 31 राज्यों में स्थापित की जाएंगी। इन ईकाइयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मनरेगा के बजट आवंटन की 0.5 प्रतिशत राशि भी भेजी गई ताकि वे राज्य सरकार के दबाव से स्वतंत्र रह कर अपना कार्य कर सकें। मेघालय जैसी कुछ राज्य सरकारों ने सराहनीय कानून बनाकर सामाजिक अंकेक्षण को मनरेगा से आगे 26 अन्य स्कीमों व विभागों के लिए संभव बनाया है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद कुछ अन्य क्षेत्रों में राज्य पारदर्शिता और जवाबदेही को संस्थागत रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया है। जहां तक कानून संबंधी प्रतिबद्धताओं का सवाल है, लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा दिसंबर 2013 में पास हुआ था व गजट में 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित हुआ। चार वर्ष बीत गए हैं पर एक लोकपाल भी अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। सूचना उपलब्ध करवाने के स्रोत के रूप में वेब-आधारित मंचों पर अति निर्भरता है जिससे ग्रामीण नागरिकों को जानकारी नहीं मिल पाती है।

सरकार द्वारा क्रियान्वित पारदर्शिता व सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता का विश्लेषण तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक इसमें यू.आई.डी.ए.आई. व आधार का विश्लेषण न हो। सरकार का कहना है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को आधार की बायोमैट्रिक से जोड़कर जब 2015 में लागू किया

गया, तब से वर्ष 2017 तक उसने 57,029 करोड़ रुपए की बचत की। ((2)) इस आंकड़े की विस्तृत जानकारी यह है कि पहल स्कीम में 29,769 करोड़ रुपए की बचत हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में 14,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, 11,741 करोड़ रुपए की बचत मनरेगा में हुई, 399 करोड़ रुपए की बचत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में हुई व 1,120 करोड़ रुपए की अन्य बचत। यह कहा गया है कि आधार व डीबीटी से भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ व जनता के, सार्वजनिक धन की बचत हुई। पर सरकार ने यह आंकड़े किस तरह प्राप्त किए यह जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। अतः इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं।

बजट आवंटन

गवर्नेस में जवाबदेही सशक्त करने के लिए संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिन महत्वपूर्ण संस्थानों को गवर्नेस में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए बजट का आवंटन नीचे दिया गया है।

तालिका 20.1

कुछ महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्थानों के लिए बजट का आवंटन (करोड़ रुपए)

संस्थान	2014-15 (वास्तविक)	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (आर.ई.)	2018-19 (बी.ई.)
केन्द्रीय चुनाव आयोग	69.2	85.2	145.9	189.8	268
केन्द्रीय सूचना आयोग	-	33.6	66.3	55	35.2
केन्द्रीय सर्तकता आयोग	20.8	24.2	27.7	31	32.6
कंपट्रोलर व ऑडिटर जनरल	3,215.4	3,195.1	3,780	4,111	4,305
लोकपाल	-	-	-	-	4.3
सोशल ऑडिट यूनिट	-	-	-	-	124
यू.आई.डी.ए.आई.●	1,617	1,880	1,135	1,200	1,375

- यू.आई.ए.डी.आई. के 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 के संशोधित अनुमान हैं (जैसे कि यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट पर रिपोर्ट किए गए)

स्रोत - बजट दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित, विभिन्न वर्ष, व यू.आई.डी.ए.आई. वेबसाइट

जैसा कि ऊपर की तालिका में दिखाया गया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों के बजट में पिछले कुछ वर्षों में मामूली सी वृद्धि है। इन संस्थानों में मानव संसाधनों की कमी है जिससे उनकी असरदार भूमिका बाधित होती है। गवर्नेस में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने में सूचना के अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है पर केन्द्रीय सूचना आयोग के आवंटन में कमी हुई है। केन्द्रीय सूचना आयोग के वर्ष 2018-19 बजट अनुमान (बी आई) की तुलना इससे पहले के वर्ष के संशोधित अनुमान से करें तो 36% की गिरावट नजर आती है। केन्द्रीय सूचना आयोग के कुल बजट में 63.6 प्रतिशत की गिरावट नजर आती है। वर्ष 2018-19 (बी.ई.) आवंटन मात्र 8.7 करोड़ रुपए का है जबकि वर्ष 2017-18

(आर ई) का आवंटन 23.6 करोड़ रुपए था। वर्ष 2015-16 के केन्द्रीय सूचना आयोग के बजट में स्थिरता से भी सूचना के अधिकार के कानून के क्रियान्वयन में सुस्ती रही। यू.आई.ए.डी.ए.आई. के लिए वर्ष 2017-18 (आर.ई.) में आवंटन 1200 करोड़ रुपए था जो 2018-19 (बी.ई.) में बढ़ कर 1375 करोड़ रुपए हुआ है, यानि इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जवाबदेही व पारदर्शिता की संस्थागत प्रक्रियाओं के महत्त्व को देखते हुए निम्न संस्तुतियां प्रस्तुत हैं -

- मनरेगा द्वारा प्रस्तुत किए उदाहरण पर चलते हुए सभी मंत्रालयों को अपने बजट के 0.5 प्रतिशत हिस्से को पारदर्शिता सुधारने, सामाजिक अंकेक्षण व शिकायत निवारण की संस्थागत प्रक्रियाओं पर खर्च करना चाहिए।
- विभागों को इस तरह सूचनाएं सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे लाभार्थियों (जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं) को आसानी से समझ आए। सूचना से आंकड़ों की अलग पहचान होनी चाहिए। अतः उचित स्तर पर आवश्यक जानकारी सही ढंग से उपलब्ध करवानी चाहिए।
- महालेखा परीक्षक को आधार व उससे जुड़े डीबीटी की भ्रष्टाचार कम करने व सार्वजनिक धन बचाने की भूमिका का आकलन विभिन्न स्कीमों के संदर्भ में करना चाहिए।

संदर्भ

- 1) मेघालय सामुदायिक भागेदारी व सार्वजनिक सेवाएं सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम, 2017
- 2) डीबीटी बचत पर सरकारी वेबसाईट



सी.बी.जी.ए. के बारे में

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाउंटेंबिलिटी (सी.बी.जी.ए.) नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र संस्थान है जो भारत में सरकारी नीतियों व बजटों का विश्लेषण करता है तथा अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही व बजट में भागीदारी को बढ़ाने की पैरवी करता है।

सी.बी.जी.ए. टीम

अक्षय वर्मा, असदुल्लाह, भुवन चन्द नैलवाल, बिल्ला तिरुमाला राव, चंद्रिका सिंह, देवानन्द सुधाकर देशमुख, गौरव गोधवानी, गौरव सिंह, हैप्पी पंत, हर्ष सिंह रावत, इनायत अनायता सभिखी, जावेद आलम खाँ, जयंत पाहुजा, ज्योत्सना गोयल, कनिका कॉल, ख्वाजा मुबीन उर रहमान, मालिनी चक्रवर्ती, नरेश कुमार नायक, नीति बियानी, नीलाचल आचार्य, प्रियंका सामी, प्रतिभा कुन्दु, राजलक्ष्मी नायर, राजकुमार, रक्षिता स्वामी, रामगति सिंह, ऋचा चिन्तन, साक्षी राय, सौम्या श्रीवास्तव, शुचिता रावल, श्वेता तिवारी, सीमंती चक्रवर्ती, सोना मित्रा, श्रीधर कुण्डु, सुब्रत दास, सुमिता गुप्ता, सूरज प्रसाद जायसवाल, षाजी टी.के., तृषा अग्रवाला, तुषार कपूर

हिन्दी अनुवाद

भारत डोगरा एवं रामगति सिंह



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाउंटेंबिलिटी (सी.बी.जी.ए.)

बी-7, एक्सटेंशन/110 ए (ग्रऊंड फ्लोर) हरसुख मार्ग,

सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

टेलीफोन - (11) 49200400 / 401 / 402

ई मेल - info@cbgaindia.org

वेब साईट - www.cbgaindia.org

फोलो सी.बी.जी.ए. फेसबुक - [CBGAIndia](https://www.facebook.com/CBGAIndia)

फोलो सी.बी.जी.ए. ट्वीटर - [CBGAIndia](https://twitter.com/CBGAIndia)